समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

21-05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–5–44 / 2009 में आवेदक **मो0 शाहनवाज अनवर,** पिता–स्व0 मो0 इबरार अहमद, सा0–अनवर मंजिल, जोगी का चौराहा, थाना–खाजेकलां, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–21.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Flood Control Division, बख्तियारपुर में कैशियर हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–29 / गो0, दिनांक–25.02.2001 द्वारा आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी के पत्रांक–1387, दिनांक–12.10.1999 द्वारा आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, पटना सदर से जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन मूल में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। थानाध्यक्ष, खाजेकलां द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों का भय है। इसलिए जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजुद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही आवेदक के पिता लाइसेंसी थें, जो स्वर्गवास हो चुके हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को आवेदक धारण करना चाहते हैं।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15792 / 2009 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–09.05.2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–**V-11016/16/2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other

information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक मो0 शाहनवाज अनवर को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो0 शाहनवाज अनवर, पिता–स्व0 मो0 इबरार अहमद, सा0–अनवर मंजिल, जोगी का चौराहा, थाना–खाजेकलां, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 21/5

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

(हस्ताक्षर) 21/5

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।